महत्वपूर्ण

पत्रॉक-स्था-1-चरित्र पंजिका / वर्ष-09-10/ 1197 / वाणिज्य कर,

प्रेषक,

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कम्प्यूटर) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(स्थापना-राजपत्रित) लखनऊ:: दिनॉक:: 23 जुलाई, 2009

महोदय,

वित्तीय वर्ष-2009-10 में विभागीय अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि का अंकन अद्ययावधिक किये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों द्वारा निस्पादित कार्यो तथा निर्वाहित दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त वर्ष हेतु अधिकारियों के वार्षिक मंतब्य अंकित किये जाने सम्बन्धी **परिपत्र संख्या-1189 / दिनॉक-23-07-2009** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त परिपत्र की छाया प्रति (तीन पृष्ठों में) इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया इसको स्कैन करवाते हुये विभागीय वेबसाइट पर डलवाने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित अधिकारियों को ई-मेल भी करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

1150
27/7/09

भवदीय,

(जो0 एस0 बुधियाल)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-चरित्र पंजिका/सामान्य वार्षिक प्रविष्टि /2009-2010/ 1189 /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(चरित्र पंजिका अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 23 जुलाई ,2009

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2 वाणिज्य कर

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर ,

समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर/ असिस्टेन्ट कमिश्नर सत्यापन वाणिज्य कर ,

समस्त वाणिज्य कर अधिकारी / वाणिज्य कर अधिकारी (सत्यापन)उत्तर प्रदेश ।

विभागीय अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि का अंकन अद्ययावधिक किये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष-2009-2010 में उनके द्वारा निष्पादित कार्यो तथा निर्वाहित दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वर्ष हेतु अधिकारियों के मन्तव्य अंकित किये जाने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों के मन्तव्य प्राप्त कर प्रतिवेदक /समीक्षक अधिकारी निम्न समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही करेगे:-

क्र0सं0	कार्यवाही	अन्तिम तिथि
1	सम्बंधित अधिकारी द्वारा प्रतिवेदक अधिकारी को स्व-मूल्यांकन का प्रेषण	30-4-2010
2	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा मन्तव्य का अंकन	31-5-2010
3	समीक्षक अधिकारी द्वारा मन्तव्य का अंकन	30-6-2010
4	स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा मन्तव्य का अंकन	31-7-2010

स्व-मूल्यांकन प्रेषण निर्धारित तिथि को नही करने की दशा में प्रतिवेदक अधिकारी बिना स्वमूल्यांकन के ही अपना अभिमत निर्धारित तिथि तक प्रेषित कर देगें । निर्धारित तिथियों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए और समयान्तर्गत कार्यवाही नही करने का उल्लेख सम्बंधित अधिकारी की चरित्र पंजिका में करते हुए उसे संचित रखा जाए । उक्त समस्त कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या- चरित्र पंजिका / सामान्य वार्षिक प्रविष्टि -2008-09 / ***887*** / वाणिज्य कर ***दि0 06-07-09*** में उल्लिखित निधारित प्रारुपों एंव प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी एंव तिथि उक्तानुसार होगी ।

23/7/09

(अनिल संत)

कमिश्नर,वाणिज्यकर,

उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर द्वारा पारित आदेशों के गुणात्मक स्तर एवं उनके विधिक ज्ञान पर टिप्पणी विभिन्न सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण से प्राप्त करके दो प्रतियों में वाणिज्य कर मुख्यालय को दिनांक 30.4.2010 तक भिजवाने का कष्ट करे, साथ ही

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण के संबंध में अपना मन्तव्य भी उक्त तिथि तक भेजने का कष्ट करे ।

2- समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण , लखनऊ/ गोरखपुर /फैजाबाद / गाजियाबाद /इलाहाबाद /अलीगढ़/ मुरादाबाद/ मेरठ/सहारनपुर/ मुजफ्फरनगर/ बरेली /कानपुर / झॉसी, आगरा तथा वाराणसी उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अधिक्षेत्र के ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर द्वारा पारित अपीलीय आदेशों के गुणात्मक स्तर एवं उनके विधिक ज्ञान पर अपनी टिप्पणी 3 प्रतियों में अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तरप्रदेश, लखनऊ को विलम्बतम दि0 30.4.2010 तक प्रेषित करने का कष्ट करें ।

3- कमिश्नर टैक्स, उतरांचल को इस अनुरोध के साथ कि वर्ष **2009-10** से संबंधित उन अधिकारियों, जो वर्ष **2009-10** में उतरांचल राज्य में उत्तर प्रदेश की जनशक्ति के विरुद्ध कार्यरत रहे हैं, की वार्षिक प्रविष्टियों की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करे, जिससे उक्त अधिकारियों से संबंधित कार्यालय अभिलेख अध्यावधिक रुप से पूर्ण हो सके। प्रतिकूल प्रविष्टि की तामीली भी नियमानुसार कराने का कष्ट करें ।

4- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर के संबंध में अपना वार्षिक गोपनीय मन्तव्य सीधे प्रमुख **सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन** को तथा उसकी प्रतिलिपि कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश को दिनांक **30.4.2010** तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

5- निदेशक, उत्तर प्रदेश सर्तकता अधिष्ठान लखनऊ एवं निदेशक राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर के विषय में अपना वार्षिक गोपनीय मन्तव्य सीधे सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन को तथा उसकी प्रतिलिपि वाणिज्य कर, मुख्यालय को दिनांक 30.4.2010 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

6- अपर निदेशक(प्रशिक्षण), वाणिज्य कर, कर प्रबन्धन एवं शोध संस्थान,गोमती नगर, लखनऊ को पॉच प्रतियों में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे नव प्रवेशी अधिकारियों के संबंध में भी अपना गोपनीय मन्तव्य दिनांक 30.4..2010 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिन्होंने वर्ष में उनके यहॉ 90 दिन या उससे अधिक अवधि तक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ।

7- उपनिदेशक कमिश्नर (संख्या) वाणिज्य कर, मुख्यालय, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त ज्वाइंट कमिश्नर, एंव समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर के संबंध में सांख्यकीय ऑकड़ें विलम्बतम दिनांक 30.4.2010 तक, चरित्र पंजिका अनुभाग, मुख्यालय, को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें

जिससे वार्षिक प्रविष्टि अंकित करते समय उसका उपयोग किया जाना सम्भव हो सके।

8- मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों का वार्षिक मन्तब्य निर्धारित समय सारिणी के अन्दर अंकित करने तथा स्वयं का कार्य-विवरण अपने प्रतिवेदक अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

9- स्थापना चरित्र पंजिका अनुभाग, मुख्यालय को 50 अतिरिक्त प्रतियाँ अभिलेख में रखने हेतु।

(जी0एस0बुधियाल)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्था0),वाणिज्यकर,
मुख्यालय लखनऊ ।